

हरियाणा सरकार

पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 जुलाई, 2022

संख्या सांकांनि० 132/संवि०/अनु० 309/2022.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग (ग्रुप घ) सेवा नियम, 1998, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम हरियाणा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग (ग्रुप घ) सेवा (संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग (ग्रुप घ) सेवा नियम, 1998 में, नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“5. आयु— सेवा में सीधी भर्ती के लिए आयु ऐसी होगी, जो हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (2018 का 6) की धारा 6 में यथा विनिर्दिष्ट है।”।

एस० एन० राय,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
ARCHAEOLOGY AND MUSEUMS DEPARTMENT

Notification

The 8th July, 2022

No. G.S.R. 132/Const./Art. 309/2022.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Archaeology and Museums Department (Group D) Service Rules, 1998, namely:—

1. These rules may be called the Haryana Archaeology and Museums Department (Group D) Service (Amendment) Rules, 2022.

2. In the Haryana Archaeology and Museums Department (Group D) Service Rules, 1998, for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:—

“5. Age.— The age for direct recruitment to the Service shall be such, as specified in section 6 of the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (5 of 2018).”.

S. N. ROY,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Archaeology and Museums Department.